न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्याः— 268 / 2022
आरसीएमएस नं. :—2022 / 268

जगतार सिंह उर्फ जग्गा सिंह पुत्र श्री हरीसिंह जाति रायसिख निवासी चक नं. 16 एस करनपुर तहसील करनपुर जिला श्रीगंगानगर। ——अपीलार्थी

बनाम

1. बजीर सिंह पुत्र चनन सिंह जाति रायसिख निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।

—असल रेस्पोडेण्ट

2. जंगीर सिंह पुत्र श्री हरीसिंह जाति रायसिख निवासी चक नं. 16 एस करनपुर तहसील करनपुर जिला श्रीगंगानगर।
3. केहर सिह पुत्र श्री हरीसिंह जाति रायसिख निवासी चक नं. 16 एस करनपुर तहसील करनपुर जिला श्रीगंगानगर।

—— रेस्पोडेंट्स

अपील अर्न्तगत धारा 223 आरटीएक्ट
विरूद्ध आदेश सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
दनांक 04.05.2015 प्र. सं. 302 / 2013
अनवान बजीर सिंह बनाम जग्गा सिंह
श्री देवीलाल भाम्भू, अभिभाषक अपीलाण्ट
श्री विजय कौशिक, अभिभाषक रेस्पेडेण्ट संख्या 1
श्री रविन्द्र कुमार भोबिया, राजकीय अभिभाषक अपीलार्थी

निर्णय दिनांक 11.XI.2022

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत एक वाद पेश किया, जिसमें कथन किया कि चक नं. 8 एमएमके जमाबन्दी सम्वत 2068—71 के खाता संख्या 75 / 66 का कुल खाता 2.783 है0 वादी व वादी के स्व0 भाईयों भानसिह, हरिसिंह के नाम ब.हिब. राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जो वादी व वादी के भाई भानसिंह व हरिसिंह के नाम राष्ट्रपति भारत सरकार से आवंटित हुई थी।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

जिसकी खातेदारी सनद भी जारी हो चुकी है। प्रश्नगत भूमि को बाहमी धरू बंटवारानामा कर लिया था। बाहमी बंटवारा में चक 8 एमएमके के खाता संख्या 75/66 की कुल 2.783 है0 कृषि भूमि आई व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पिता स्व0 पिता हरिसिंह ने अपने हिस्सा में जिला श्रीगंगानगर की आवंटित कृषि भूमि रख ली अर्सा दराज पूर्व हुए बाहमी घरू बंटवारानामा अनुसार वादी की भूमि बिना किसी बाधा के शांति पूर्वक कब्जा काश्त में चली आ रही है। कब्जा के संबंध मे कोई विवाद नहीं है। वादी ने वाद पत्र में वर्णितानुसार प्रश्नगत भूमि का खातेदार घोषित करने बंटवारा अनुसार भानसिह, हरिसिंह पि0 चननसिंह का नाम कलमजन करने का अनुतोष मांगा। अधीनस्थ न्यायालय ने वाद पत्र स्वीकार किया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्ध पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीालण्ट के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर अपीालधीन निर्णय पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय में जो वंशावली प्रस्तुत की है उसमें अपीलांट का नाम जगतार सिंह दर्ज नहीं करवाया जाकर सिर्फ जग्गासिह दर्ज किया गया है तथा जग्गासिंह के नाम से दावा में शीर्षक में दर्ज किया जाकर नोटिस जारी किये गये हैं जो कतई विधि विरूद्ध होने के कारण अपीलाधीन निर्णय खारिज किये जाने योग्य है। प्रश्नगत भूमि चक 8 एमएमके के खाता संख्या 75/66 में वर्णित कुल रकबा 2.783 है0 में अपीलांट के पिता स्व0 हरीसिंह 1/3 हिस्सा के सह खतोदार थे तथा उनके हक व हिस्सा की कृषि भूमि पर अपीलांट एवं तरतीबी रेस्पोडेण्ट संख्या 2 ता 3 का संयुक्त रूप से कब्जा काश्त रहा है जो आज भी लगातार चल रहा है। अपीलांट एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के मध्य कभी भी घरू बंटवारा नहीं हुआ तथा अपीलांट अपने पिता एवं ताउ से विरासतन मिलने वाले हक व हिस्सा का कानूनी अधिकारी है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा घरू बंटवारा के संबंध में बिना किसी प्रकार की लिखित एवं राजीनामा के अभाव में मौखिक रूप से अपीलांट के हक व हिस्सा की कृषि भूमि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के नाम खातेदारी दर्ज किये जाने के अपीलाधीन आदेश पारित किये हैं जो विधि विरूद्ध हैं। अपीलाधीन निर्णय का अपीलांट को ज्ञान नहीं था ज्ञान होते ही अपील पेश कर दी है। अतः देरी क्षमा की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट ने लगभग 7 वर्ष बाद यह अपील पेश की है। अपील विलंब से प्रस्तुत करने का कोई समुचित कारण नहीं बताया है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट संख्या 2 व 3 तीनों को नोटिस जरिये रजिस्टर्ड डाक से करणपुर अपीलांट द्वारा शीर्षक अपील में दिये पते एवं अपीलांट के नाम चक 16 एस तहसील करणपुर में स्थिति भूमि की जमाबंदी में दर्ज नाम जग्गासिंह के अनुसार ही सही पते पर जारी किये गये थे जिस पर दावा में प्रतिवादी सं0 3 रेस्पो0 3 केहरसिंह जो अपीलांट का भाई है। विचारण न्यायलाय के समक्ष जरिये अधिवक्ता उपस्थित आया एवं उसके द्वारा इकबालदावा प्रस्तुत कर दावा के चरणबद्ध रूप से स्वीकार किया जाकर मुताबिक अनुतोष दावा डिक्री किये जाने की इस्तदुआ की गई थी। प्रश्नगत वाद के नोटिस जरिये रजिस्टर्ड डाक तीनों प्रतिवादीगण को प्राप्त हो चुके थे क्योंकि तीनों भाई चक 16 एस करणपुर तहसील करणपुर जिला श्रीगंगानगर में ही निवासी होने से एवं बावजूद नोटिस की तामील होने से उनके द्वारा विचारण न्यायलाय में रेस्पोडेण्ट सं0 3 के अलावा अन्य के उपस्थित नही आने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर अपीलाधीन निर्णय विधि सम्मत पारित किया गया है। अपीलाण्ट बावजूद इत्तिला विचारण न्यायालय के समक्ष जानबूझकर उपस्थित नही रहे एवं ना ही अनुपस्थिति का काई युक्तियुक्त कारण ही उनके द्वारा घोर लापरवाही पूर्ण देरी लगभग 7 वर्ष एवं 3 माह का दिया है। इस कारण इतनी लम्बी अवधि का डिले बिना युक्त्युक्त कारण के न्याहित में कन्डोन नहीं किया जा सकता है। अपीलाण्ट को अपीलाधीन निर्णय का हमेशा से ज्ञान रहा है। रेस्पोडेण्ट प्रश्नगत भूमि का खातेदार हो चुका है। हरिसिंह के अन्य वारिसों में से रेस्पोडेण्ट संख्या 3 ने वाद में इकबाल दावा पेश किया है। अपीलाण्ट ने मिथ्या तथ्यों के आधार पर रेस्पोडेण्ट को हैरान परेशान करने के लिए यह अपील पेश की है जो खारिज की जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में 1993 आरआरडी पेज 539, 1989 आरआरडी पेज 500, 2015 आरआरटी पेज 232, 2019 आरबीजे पेज 20, 2005 आरआरडी पेज 211 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. अपीलांट का कथन है कि अपीलांट का नाम जगतार सिह दर्ज नहीं करवाया जाकर सिर्फ जग्गासिंह दर्ज किया गया है तथा जग्गासिंह के नाम से दावा में शीर्षक में दर्ज किया जाकर नोटिस जारी किये गये हैं जो कतई विधि विरूद्ध होने के कारण अपीलाधीन निर्णय खारिज किये जाने योग्य है।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

7. अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट संख्या 2 व 3 तीनों को नोटिस जरिये अपीलांट द्वारा शीर्षक अपील में दिये ये पते पर रजिस्टर्ड डाक से भेजे गये थे। अपीलाण्ट का कथन है कि उसका नाम जगतार सिंह है जग्गासिंह नहीं है और नोटिस जग्गासिंह के नाम के भेज भेजे गये हैं। लेकिन अपीलांट के नाम चक 16 एस तहसील करणपुर में स्थिति भूमि की जमाबंदी में दर्ज नाम जग्गासिंह के अनुसार जारी किये गये थे जिस पर दावा में प्रतिवादी सं0 3/रेस्पो0 3 केहरसिंह जो अपीलांट का भाई है जरिये अधिवक्ता उपस्थित आया एवं उसके द्वारा इकबालदावा प्रस्तुत कर दावा को स्वीकार किया है एवं मुताबिक अनुतोष दावा डिक्री किये जाने की इस्तदुआ की गई थी। प्रश्नगत वाद के नोटिस जरिये रजिस्टर्ड डाक तीनों प्रतिवादीगण को प्राप्त हो चुके थे क्योंकि तीनों भाई चक 16 एस करणपुर तहसील करणपुर जिला श्रीगंगानगर में ही निवासी होने से एवं बावजूद नोटिस की तामील होने से उनके द्वारा विचारण न्यायलाय में रेस्पोडेण्ट सं0 3 के अलावा अन्य के उपस्थित नही आने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। रेस्पोडेण्ट प्रश्नगत भूमि का खातेदार हो चुका है। हरिसिंह के अन्य वारिसों में से रेस्पोडेण्ट संख्या 3 ने वाद में इकबाल दावा पेश किया है। अपीलाण्ट बावजूद इत्तिला के विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित नही रहे एवं ना ही अनुपस्थिति का काई युक्तियुक्त कारण ही बताया है एवं इनके द्वारा लगभग 7 वर्ष एवं 3 माह विलम्ब अपील प्रस्तुत करने में किया है जो घोर लापरवाही पूर्ण है। इस कारण इतनी लम्बी अवधि का डिले बिना युक्तियुक्त कारण के न्यायहित में कन्डोन नहीं किया जा सकता है। लिहाजा अपीलाण्ट का धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र खारिज किये जाने योग्य है एवं धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र खारिज होने के कारण अपील भी खारिज की जाती है।

8. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलाण्ट का धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र खारिज किया जाता है एवं धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र खारिज होने के कारण अपील भी खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

9. निर्णय आज दिनांक 11.XI.22 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

11.XI.22

(करतारसिंह पुनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़